

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प: 10(3) राज-6/2001/5

जयपुर, दिनांक २६-६-२०१३

समस्त जिला कलकटर,
राजस्थान।

-:परिपत्र:-

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा (4डैक्टर) तक चरागाह भूमि का आवंटन जिला कलकटर राजकीय विभागों को जनहितार्थ के लिए करने गें राक्षम है।

अतः निर्देशानुसार विभागीय परिपत्र क्रमांक 10(3) राज-6/2001/7 दिनांक 25.4.2011 एवं 17.4.2013 के क्रम में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के प्रावधान के अनुसार विहित सीमा तक चरागाह भूमियों का आवंटन जिला कलकटर आबादी विस्तार, शमशान एवं कब्रिस्तान के प्रयोजन के लिए आवंटन कर सकता है व चरागाह भूमि का वर्गीकरण नियमानुसार करने पर जिला कलकटर उस गाँव में अनाधिवासित कृषि योग्य सरकारी भूमि यदि उपलब्ध है तो उसके बराबर क्षेत्र चरागाह भूमि के रूप में पृथक रख सकेगा।


संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विधि सहायक, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
4. निजी सचिव शासन सचिव महोदय।
5. संभागीय आयुक्तगण (समस्त), राजस्थान।
6. निबंधक राजस्व मण्डल, राजस्व अजमेर।
7. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर।
8. विशिष्ट शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव